राजनीति विज्ञान कक्षा 10वीं

अध्याय - 2

''संघवाद''

स्मरणीय बातें :-

1. संघीय सरकार में दो या दो से अधिक स्तर की सरकारें होती हैं।
2. संघीय व्यवस्था में विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट वर्णित होते हैं।
3. संघीय व्यवस्था में संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती।
4. संघीय व्यवस्था का उद्देश्य देश की एकता को सुरक्षित रखना तथा क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान करना है।
5. अमेरिका, स्विटजरलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे संघीय व्यवस्था वाले देशों में प्रांत, केन्द्र की तुलना में अधिक ताकतवर होते हैं।
6. भारत, बेल्जियम और स्पेन में राज्यों की तुलना में केन्द्र अधिक शक्तिशाली है।
7. भारत में जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य हैं जहाँ राज्य विधान सभा की अनुमति के बगैर भारतीय संविधान के कई प्रावधानों को लागू नहीं किया जा सकता।
8. भारतीय संविधान में विधायी अधिकारों को तीन हिस्से में बाँटा गया है - संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची।
9. भारत में उपर्युक्त तीन सूचियों के अतिरिक्त बाकी बचे विषय केन्द्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

10. भारत में 40 प्रतिशत लोगों की मातृभाषा हिन्दी है।

11. एक से अधिक राजनीतिक दलों के द्वारा मिलकर बनाई गई सरकार, को गठबंधन सरकार कहते हैं।

12. अनुसूचित भाषाएँ - वे 22 भाषाएँ जिन्हें भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में रखा गया है, अनुसूचित भाषाएँ कहते हैं।

13. भारत में 1992 में संविधान संशोधन करके पंचायतों को ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया।

14. नये संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित की गई।

1 अंक वाले प्रश्न :-

1. सत्ता का विकेन्द्रीकरण किसे कहते हैं ?

2. नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के लिए लगभग कितने लोगों का चुनाव होता है ?

3. भारत में किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है ?

4. स्थानीय शासन वाली कौन-कौन सी संस्थाएँ शहरों में काम करती हैं ?

5. एकात्मक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं ?

6. बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है ?

7. पंचायत समिति का गठन कैसे होता है ?

8. नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं ?

9. समवर्ती सूची के विषयों पर कानून कौन बनाता है ?

1 अंक वाले प्रश्नों के उत्तर :-

1. केन्द्र और राज्य से शक्तियाँ लेकर स्थानीय सरकारों को देना।
2. 36 लाख
3. जम्मू कश्मीर
4. नगरपालिका और नगर निगम
5. ऐसी व्यवस्था जिसमें शासन का एक ही स्तर होता है।
6. संघीय सरकार
7. कई पंचों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है।
8. मेयर
9. केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार।

3/5 अंक वाले प्रश्न :-

1. भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बँटवारा किस प्रकार किया गया है ?
2. स्थानीय सरकारों के महत्व का वर्णन कीजिए ?
3. भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता और उससे अलग एक विशेषता को बताएँ ?
4. 1992 के संविधान संशोधन द्वारा लोकतांत्रिक व्यवस्था में विकेन्द्रीकरण को प्रभावी बनाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं ?
5. संघवाद या संघीय शासन व्यवस्था क्या है ? इसकी विशेषताएँ लिखिए।
6. भारत की भाषा नीति क्या है ?
7. 1992 से पूर्व विकेन्द्रीकरण के स्वरूप का वर्णन कीजिए।

8. एकात्मक और संघात्मक सरकारों के बीच अंतर स्पष्ट करें।

9. केन्द्र और राज्यों के सम्बन्धों में आए बदलावों का वर्णन कीजिए।

10. पंचायतों की मुख्य परेशानियों का वर्णन करें।

11. भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है इस तथ्य को साबित करने वाले मुख्य सिद्धांतों को लिखें।

12. संघवाद की किन्हीं तीन बुराइयों की व्याख्या कीजिए।

3/5 अंकों वाले प्रश्नों के उत्तर :-

1. संघ सूची - प्रतिरक्षा, विदेश, बैंकिंग, संचार, मुद्रा आदि - राष्ट्रीय महत्व के विषय।

 राज्य सूची - पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई - प्रान्तीय महत्व के विषय।

 समवर्ती सूची - शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना।

 अवशिष्ट शक्तियाँ - वे विषय जो ऊपर के तीन सूचियों में नहीं हैं तथा जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है।

2. 1) अनेक समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर हो जाता है।

 2) लोगों को इस बात की जानकारी होती है कि पैसा कहाँ और कैसे खर्च करना है।

 3) स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसलों में सीधे भागीदार बनाना संभव हो जाता है।

 4) सत्ता में अधिक से अधिक लोगों को भागीदार बनाना।

 5) स्थानीय शासन सत्ता के विकेन्द्रीकरण के अनुरूप है।

3. भारत में बेल्जियम से मिलती-जुलती विशेषता यह है कि दोनों देशों में संपूर्ण देश के लिए एक संघ सरकार का गठन किया गया है। अलग विशेषता यह है कि बेल्जियम की केन्द्र सरकार की अनेक शक्तियाँ देश के दो क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई हैं, जबकि भारत में केंद्र सरकार अनेक मामलों में राज्य सरकार पर नियंत्रण रखती है।

4. 1) स्थानीय निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना अनिवार्य है।
 2) कम से कम एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।
 3) हर राज्य में पंचायत और नगरपालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है।
 4) राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा स्थानीय निकायों को देना पड़ा।

5. 1) संघीय व्यवस्था में सत्ता केन्द्रीय सरकार और अन्य सरकारों में बंटी होती है।
 2) संघीय व्यवस्था में दो या दो से अधिक स्तर की सरकारें होती हैं।
 3) केंद्र सरकार राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर कानून बनाती है और राज्य सरकारें राज्य से संबंधित विषयों पर।
 4) दोनों स्तर की सरकारें अपने-अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना काम करती हैं।
 5) केन्द्र तथा राजय सरकार के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित हैं।

6. 1) भारत में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा न देकर हिंदी और अन्य 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है।

2) अंग्रेजी को राजकीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई है, विशेषकर गैर हिन्दी भाषी प्रदेशों को देखते हुए।

3) सभी राज्यों की मुख्य भाषा का विशेष ख्याल रखा गया है।

7. 1) सभी राज्यों में गाँव के स्तर पर ग्राम पंचायतें और शहरों में नगरपालिकाओं की स्थापना की गई थी।

2) स्थानीय संस्थाएँ राज्य सरकारों के अधीन रखी गई थी।

3) स्थानीय संस्थाओं के चुनाव नियत समय पर नहीं कराए जाते थे।

4) स्थानीय संस्थाओं के पास न अपना अधिकार था और न संसाधन।

8. एकात्मक शासन व्यवस्था :-

1) इसमें केन्द्र सरकार शक्तिशाली होती है।

2) इसके अंतर्गत संविधान संशोधन केन्द्र सरकार कर सकती है।

3) शक्तियाँ एक जगह पर केंद्रित होती हैं।

4) इसमें एक ही नागरिकता होती है।

5) केन्द्र सरकार राज्यों से शक्तियाँ ले सकती हैं।

संघात्मक शासन व्यवस्था :-

1) इसमें केन्द्रीय सरकार अपेक्षाकृत कमजोर होती है।

2) इसमें केन्द्र सरकार अकेले संविधान संशोधन नहीं कर सकती है।

3) शक्तियाँ कई स्तरों पर विभाजित होती हैं।

4) कई संघीय व्यवस्था वाले देशों में दोहरी नागरिकता होती है।

5) दोनों स्तर की सरकारें अपने अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र होती हैं।

9. 1) विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों की सरकारें।

2) गठबन्धन सरकारों के आने से केन्द्र सरकार अपनी मनमानी नहीं कर सकती है।

3) केन्द्रीय राजस्व में राज्यों को दी जाने वाली राशि में बढ़ोतरी।

4) केन्द्र - राज्य तनाव में कमी।

5) केन्द्र - राज्य सम्बन्धों में सुधार।

6) केन्द्र सरकार की योजनाओं में राज्यों के हितों का ख्याल।

10. 1) जागरूकता का अभाव।

2) धन का अभाव।

3) अधिकारियों की मनमानी।

4) जन सहभागिता में कमी।

5) केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराना।

6) चुनाव नियमित रूप से नहीं होते।

11. 1) भारत में केन्द्र, राज्य और स्थानीय, तीन स्तरों पर सरकारें हैं।

2) भारत में एक लिखित एवं विस्तृत संविधान है।

3) प्रत्येक स्तर की सरकार के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट वर्णित हैं।

4) संविधान के मौलिक प्रावधानों को कोई एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती।

5) सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या का अधिकार।

6) केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी शक्तियों को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में बांटा जाना।

7) वित्तीय स्वायतता के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों के लिए अलग-अलग स्रोत।

12. 1) केन्द्रीय सरकार का अधिक शक्तिशाली होना।

2) संविधान संशोधन का अधिकार केवल केन्द्र को ही प्राप्त होना।

3) संसद को अधिक अधिकार होना।

4) धन संबंधी अधिकारों का केन्द्र के पास अधिक होना।

5) केन्द्र सरकार का राज्य सरकारों के मामले में अनावश्यक हस्तक्षेप।